

:न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)::

// कार्य विभाजन आदेश //

क्रमांक:- १८ / सी.जे.एम. / स्टेनो / 2023

अनूपपुर दिनांक 10.02.2023

“वर्ष 2023 के लिये सिविल जिले अनूपपुर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य विभाजन आदेश”।

मैं महेन्द्र कुमार उड़के, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनूपपुर, सिविल जिला अनूपपुर, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनूपपुर जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपराधिक प्रकरणों एवं अनुवांशिक कार्य के निष्पादन के संबंध में निम्नांकित क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएँ परिनिश्चित करते हुए, कार्य विभाजन आदेश प्रस्तावित करता हूँ जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अनूपपुर के अनुमोदन से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा—

-: दाण्डक कार्य विभाजन :-

क्र.	मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम	सुनवाई योग्य प्रकरणों का स्वरूप एवं क्षेत्राधिकारिता
1.	श्री महेन्द्र कुमार उड़के, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर, जिला अनूपपुर	अधिकार क्षेत्रः—आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली अनूपपुर एवं जी.आर.पी. चौकी अनूपपुर, ट्रैफिक थाना अनूपपुर एवं थाना अजाक अनूपपुर के समस्त स्थानीय क्षेत्र।
		1 आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली अनूपपुर एवं जी.आर.पी. चौकी अनूपपुर, अजाक थाना एवं ट्रैफिक थाना अनूपपुर एवं अजाक अनूपपुर तथा उसकी चौकी एवं अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना एवं अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट तथा क्लोजर रिपोर्ट का निराकरण करना (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर, जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों, जिनमें ग्राम न्यायालय शामिल है, को है) एवं थाने से संबंधित स्थाई गिरफ्तारी वारंट वाले प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण।
		2 उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों के अन्तर्गत धारा 176 दं.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जॉच करना।
		3 नगर पालिका अनूपपुर के अन्तर्गत आने वाले नगर पालिका परिषद द्वारा प्रस्तुत होने वाले नगरपालिका अधिनियम के समस्त दाण्डक प्रकरण।

	4	आबकारी वृत्त अनूपपुर से उत्पन्न होने वाले आबकारी विभाग के समस्त दार्ढिक प्रकरण।
	5	<p>अ. आरक्षी केन्द्र अनूपपुर, चचाई, जैतहरी, कोतमा, भालूमाड़ा, बिजुरी, रामनगर, राजेन्द्रग्राम, अमरकंटक एवं करनपठार एवं उनकी छौकियों से उत्पन्न होने वाले आबकारी प्रकरण, जिनमें जप्त की गई मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर या उससे अधिक हो।</p> <p>ब. समस्त जिला अनूपपुर के आबकारी वृत्त से संबंधित आबकारी के 50 बल्क लीटर या उससे अधिक के समस्त प्रकरण।</p>
	6	आरक्षी केन्द्र अनूपपुर क्षेत्र से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपलंबध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।
	7	खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. 2006 से संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य आपराधिक परिवाद संपूर्ण अनूपपुर जिले का ग्रहण करना और निराकरण करना (विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)।
	8	उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण:-
	अ	इंग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945
	ब	म.प्र. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
	स	दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958
	द	स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम
	य	नाप तौल अधिनियम
	र	फैक्ट्री अधिनियम
	ल	सार्वजनिक घुत अधिनियम
	9	आरक्षी केन्द्र अनूपपुर, चचाई एवं जैतहरी क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले वन अपराध एवं वाईल्ड लाईफ (प्रोटेक्शन) लॉ से संबंधित प्रकरण।
	10	आरक्षी केन्द्र अनूपपुर, चचाई एवं जैतहरी क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले भारतीय खदान अधिनियम एवं खान/खनिज अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
	11	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अनूपपुर द्वारा मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।

	12	संपूर्ण जिला अनूपपुर के समस्त थाना क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले मोटरयान अधिनियम की धारा—113/114/115/194(1), 114/194(2) के अंतर्गत ओवर-लोडिंग से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
	13	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 322 एवं 325 के अन्तर्गत विभिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा प्रेषित प्रकरण।
	14	सिविल जिला अनूपपुर के समस्त थाना क्षेत्रों में चलित न्यायालय लगाये जाने का कार्य।
	15	आरक्षी केन्द्र अनूपपुर, जिला अनूपपुर की परिसीमाओं से उत्पन्न एवं प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के समस्त प्रकरण।
	16	अनूपपुर तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित एवं कार्यरत ग्राम न्यायालयों द्वारा दाण्डिक प्रकरणों में किये गये विनिश्चयन के विरुद्ध ग्राम न्यायालय अधिनियम 1966 की धारा 31 के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिकाएँ, ग्राम न्यायाधिकारी जनपद पंचायत क्षेत्र कोतमा की दाण्डिक अपील छोड़कर।
	17	अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर एवं अनुपस्थिति की स्थिति में उनके क्षेत्राधिकार के स्वीकारोक्ति के संक्षिप्त विचारणीय प्रकरणों को अपने न्यायालय में दर्ज कर निराकरण करना एवं आवश्यक आपराधिक कार्य का निष्पादन करना एवं चालान लेकर संबंधित न्यायालय को भेजना।
	18	सिविल जिला अनूपपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों के मामलों के खारिजी प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना।
	19	माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर एवं माननीय सत्र न्यायालय अनूपपुर द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देशों का पालन एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का पालन करना।
	20	आरक्षी केन्द्र अनूपपुर क्षेत्र से उत्पन्न एन.डी.पी.एस. एक्ट के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामलों का निराकरण करना।
2.	श्री रामअवतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)	अधिकार क्षेत्रः—थाना जैतहरी, जिला अनूपपुर के समस्त स्थानीय क्षेत्र।
	1	आरक्षी केन्द्र जैतहरी, जिला अनूपपुर द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर, जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों, ग्राम न्यायालय या मुख्य

		न्यायिक मजिस्ट्रेट को है) एवं थाने से संबंधित स्थाई गिरफ्तारी वारंट वाले प्रकरण अपने—अपने थाने से संबंधित अन्य समस्त अनुसंगिक कार्यवाही संपादित करेंगे।
2		उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों के अन्तर्गत धारा 176 दं.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जाँच करना।
3		आरक्षी केन्द्र जैतहरी एवं अनूपपुर क्षेत्र से उत्पन्न धारा 138 पराकाम्य लिखित अधिनियम के समस्त परिवाद पत्र।
4		आरक्षी केन्द्र जैतहरी क्षेत्रों के समस्त परिवाद पत्र एवं 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन।
5		आरक्षी केन्द्र जैतहरी एवं अनूपपुर क्षेत्र से उद्भुत धारा 52(क)(2) एनडीपीएस एकट के तहत प्रस्तुत आवेदन के संबंध में कार्यवाही संपादित करेंगे।
6		माननीय सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर एवं सी.जे.एम. अनूपपुर को पूर्व सूचना देते हुए अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना।
7		आरक्षी केन्द्र जैतहरी क्षेत्र से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपलंब्ध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।
8		उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न एन.डी.पी.एस. एकट के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामलों का निराकरण करना।
9		उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में जिसमें 50 बल्क लीटर से कम शाराब जब्त हुई हो, का विचारण करना।
10		मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर द्वारा समय—समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों निराकरण करना।
11		आरक्षी केन्द्र थाना जैतहरी क्षेत्रांतर्गत पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार करना और निराकरण करना।
12		उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :—
अ		झग्स एवं कास्मेटिक एकट 1945
ब		म.प्र. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
स		दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958
द		स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम
य		नाप तौल अधिनियम

		र फैक्ट्री अधिनियम
		ल सार्वजनिक द्युत अधिनियम
3	श्री रामअवतार पटेल, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय राजस्व तहसील अनूपपुर,	ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के प्रथम अनुसूची में वर्णित अपराध अंतर्गत समस्त दाँड़िक प्रकरण
4.	सुश्री शिवानी असाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)	<p>1 माननीय सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर एवं सी.जे.एम. अनूपपुर को पूर्व सूचना देते हुए अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना।</p> <p>2 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर द्वारा समय—समय पर अंतरित दाँड़िक प्रकरणों निराकरण करना।</p> <p>3 आरक्षी केन्द्र अनूपपुर क्षेत्रांतर्गत समस्त परिवाद पत्र एवं 156(3) द.प्र.सं. के आवेदन।</p> <p>4 किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण।</p>
5.	सुश्री अंजली शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)	<p><b>अधिकार क्षेत्रः—</b>आरक्षी केन्द्र चचाई एवं महिला थाना अनूपपुर के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>1 आरक्षी केन्द्र आरक्षी केन्द्र चचाई एवं महिला थाना अनूपपुर तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर, जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों, ग्राम न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है) एवं थाने से संबंधित स्थाई गिरफ्तारी वारंट वाले प्रकरण एवं अन्य समस्त अनुसंगिक कार्यवाही संपादित करेंगे।</p> <p>2 उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों के अन्तर्गत धारा 176 द.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जॉच करना।</p> <p>3 माननीय सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर एवं सी.जे.एम. अनूपपुर को पूर्व सूचना देते हुए अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना।</p> <p>4 आरक्षी केन्द्र चचाई क्षेत्रों से उत्पन्न धारा 138 पराकाम्य लिखित अधिनियम के समस्त परिवाद पत्र।</p>

	5. आरक्षी केन्द्र चचाई क्षेत्र अंतर्गत उत्पन्न समस्त परिवाद पत्र एवं 156(3) द.प्र.सं. के आवेदन।
6	आरक्षी केन्द्र चचाई क्षेत्र से उद्भुत धारा 52(क)(2) एनडीपीएस एकट के तहत प्रस्तुत आवेदन के संबंध में कार्यवही संपादित करेंगे।
7	उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपलंब्ध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।
8	आरक्षी केन्द्र चचाई क्षेत्र से उत्पन्न एन.डी.पी.एस. एकट के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामलों का निराकरण करना।
9	उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में जिसमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जब्त हुई हो, का विचारण करना।
10	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों निराकरण करना।
11	आरक्षी केन्द्र चचाई एवं महिला थाना क्षेत्रांतर्गत पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार करना और निराकरण करना।
12	आरक्षी केन्द्र अनूपपुर, जैतहरी एवं चचाई से उत्पन्न महिलाओं से संबंधित/उनके विरुद्ध कारित अपराध/अत्याचार के प्रकरणों का निराकरण करना एवं उक्त तहसील मुख्यालय-अनूपपुर से उत्पन्न घरेलू हिंसा से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना (संदर्भ-माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर का विविध आदेश क. 83/ एक-10-1/2012 अनूपपुर दिनांक 30.10.17)।
13	अनूपपुर जिला मुख्यालय के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत उत्पन्न दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 के अंतर्गत भरण पोषण के प्रकरणों (परिवार न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) का निराकरण।
14	आरक्षी केन्द्र चचाई क्षेत्र में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :—
अ	झग्स एवं कास्मेटिक एकट 1945
ब	म.प्र. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
स	दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958
द	स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम

		य	नाप तौल अधिनियम
		र	फैक्ट्री अधिनियम
		ल	सार्वजनिक द्युत अधिनियम
6.	श्री राहुल क्षत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, राजेन्द्रग्राम, जिला अनूपपुर (म.प्र.)	<b>अधिकार क्षेत्रः— आरक्षी केन्द्र राजेन्द्रग्राम, अमरकंटक एवं करनपठार के समस्त स्थानीय क्षेत्र।</b>	
	1	आरक्षी केन्द्र राजेन्द्रग्राम, अमरकंटक एवं करनपठार एवं अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर, जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है) एवं थाने से संबंधित स्थाई गिरफतारी वारंट वाले प्रकरण एवं संबंधित अन्य समस्त अनुसंगिक कार्यवाही संपादित करेंगे।	
	2	उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों के अन्तर्गत धारा 176 द.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जॉच करना।	
	3	उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न धारा 138 पराकाम्य लिखित अधिनियम के समस्त परिवाद पत्र।	
	4	उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों अंतर्गत उत्पन्न समस्त परिवाद पत्र एवं 156(3) द.प्र.सं. के आवेदन।	
	5	उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भुत धारा 52(क)(2) एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रस्तुत आवेदन के संबंध में कार्यवही संपादित करेंगे।	
	6	माननीय सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर एवं सी.जे.एम. अनूपपुर को पूर्व सूचना देते हुए अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना।	
	7	उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपलंब्ध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।	
	8	उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न एन.डी.पी.एस. एक्ट के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामलों का निराकरण करना।	
	9	उपरोक्त आरक्षी केन्द्र एवं आबकारी वृत्त राजेन्द्रग्राम क्षेत्रों से उत्पन्न आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में जिसमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जब्त हुई हो, का विचारण करना।	

		10 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना।
		11 समस्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्र, तहसील मुख्यालय राजेन्द्रग्राम से उत्पन्न महिलाओं से संबंधित / उनके विरुद्ध कारित अपराध / अत्याचार के प्रकरणों का निराकरण करना एवं उक्त तहसील मुख्यालय—राजेन्द्रग्राम से उत्पन्न घरेलू हिंसा से संबंधित समस्त प्रकरण एवं द.प्र.सं. के अध्याय 9 के तहत भरण—पोषण के प्रकरणों का निराकरण करना (संदर्भ—माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर का विविध आदेश क. 83 / एक-10-1 / 2012 अनूपपुर दिनांक 30.10.17)।
		12 आरक्षी केन्द्र राजेन्द्रग्राम, अमरकंटक एवं करनपठार थाना क्षेत्रांतर्गत पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार करना और निराकरण करना।
		13 उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले वन अपराध से संबंधित प्रकरण।
		14 उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले भारतीय खदान अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
		15 उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :—
	अ	झग्स एवं कास्मेटिक एकट 1945
	ब	म.प्र. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
	स	दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958
	द	स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम
	य	नाप तौल अधिनियम
	र	फैक्ट्री अधिनियम
	ल	सार्वजनिक द्युत अधिनियम
7.	श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)	अधिकार क्षेत्र :— आरक्षी केन्द्र कोतमा, बिजुरी तथा उक्त थानों से संबंधित पुलिस चौकियों के समस्त स्थानीय क्षेत्र।
	1	आरक्षी केन्द्र कोतमा व बिजुरी तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर, जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है) एवं थाने से संबंधित स्थाई गिरफ्तारी वारंट वाले

	प्रकरण एवं संबंधित अन्य समस्त अनुसंगिक कार्यवाही संपादित करेंगे।
2	उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों के अंतर्गत धारा 176 द.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जॉच करना।
3	आरक्षी केन्द्र कोतमा व बिजुरी क्षेत्रों से उत्पन्न धारा 138 पराकाम्य लिखित अधिनियम के समस्त परिवाद पत्र।
4	आरक्षी केन्द्र कोतमा व बिजुरी क्षेत्र अंतर्गत उत्पन्न समस्त परिवाद पत्र एवं 156(3) द.प्र.सं. के आवेदन।
5	उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भुत धारा 52(क)(2) एनडीपीएस एकट के तहत प्रस्तुत आवेदन के संबंध में कार्यवाही संपादित करेंगे।
6	माननीय सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर एवं सी.जे.एम. अनूपपुर को पूर्व सूचना देते हुए अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना।
7	आरक्षी केन्द्र कोतमा व बिजुरी क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम(विशेष उपलंब्ध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।
8	उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्र से उत्पन्न एन.डी.पी.एस. एकट के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामलों का निराकरण करना।
9	उपरोक्त आरक्षी केन्द्र एवं आबकारी वृत्त कोतमा क्षेत्रों से उत्पन्न आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में जिसमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जब्द हुई हो, का विचारण करना।
10	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों निराकरण करना।
11	आरक्षी केन्द्र कोतमा, भालूमाड़ा, बिजुरी एवं रामनगर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले वन अपराध से संबंधित प्रकरण।
12	आरक्षी केन्द्र कोतमा, भालूमाड़ा, बिजुरी एवं रामनगर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले भारतीय खदान अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
13	आरक्षी केन्द्र कोतमा व बिजुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार करना और निराकरण करना।
14	आरक्षी केन्द्र कोतमा व बिजुरी क्षेत्र में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :—

		<p>अ झग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945</p> <p>ब म.प्र. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955</p> <p>स दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958</p> <p>द स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम</p> <p>य नाप तौल अधिनियम</p> <p>र फेकट्री अधिनियम</p> <p>ल सार्वजनिक द्युत अधिनियम</p>
8.	<b>श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी,</b> न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय राजस्व तहसील कोतमा,	ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के प्रथम अनुसूची में वर्णित अपराध अंतर्गत समस्त दाँड़िक प्रकरण
9.	<b>सुश्री वर्षा भलावी,</b> न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)	<p><b>अधिकार क्षेत्र:-</b> आरक्षी केन्द्र रामनगर एवं महिला थाना कोतमा के समस्त स्थानीय क्षेत्र।</p> <p>1 आरक्षी केन्द्र रामनगर एवं महिला थाना तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर, जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों, ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार वाले प्रकरणों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हैं) एवं थाने से संबंधित स्थाई गिरफ्तारी वारंट वाले प्रकरण अपने—अपने थाने से संबंधित अन्य समस्त अनुसंगिक कार्यवाही संपादित करेंगे।</p> <p>2 उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्र के अन्तर्गत धारा 176 द.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जॉच करना।</p> <p>3 आरक्षी केन्द्र रामनगर क्षेत्र से उत्पन्न धारा 138 पराकाम्य लिखित अधिनियम के समस्त परिवाद पत्र।</p> <p>4 आरक्षी केन्द्र रामनगर क्षेत्र अंतर्गत उत्पन्न समस्त परिवाद पत्र एवं 156(3) द.प्र.सं. के आवेदन।</p> <p>5 आरक्षी केन्द्र रामनगर से उद्भुत धारा 52(क)(2) एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रस्तुत आवेदन के संबंध में कार्यवाही संपादित करेंगे।</p> <p>6 माननीय सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर एवं सी.जे.एम. अनूपपुर को पूर्व सूचना देते हुए अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना।</p>

		7	आरक्षी केन्द्र रामनगर क्षेत्र से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम(विशेष उपलंब्ध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।
		8	उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्र से उत्पन्न एन.डी.पी.एस. एकट के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामलों का निराकरण करना।
		9	उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में जिसमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जब्त हुई हो, का विचारण करना।
		10	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों निराकरण करना।
		11	तहसील कोतमा के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न महिलाओं से संबंधित/उनके विरुद्ध कारित अपराध/अत्याचार के प्रकरणों का निराकरण करना एवं उक्त तहसील मुख्यालय-कोतमा से उत्पन्न घरेलू हिंसा से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना (संदर्भ-माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर का विविध आदेश क. 83 / एक-10-1 / 2012 अनूपपुर दिनांक 30.10.17)।
		12	आरक्षी केन्द्र रामनगर थाना क्षेत्रांतर्गत पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार करना और निराकरण करना।
		13	उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :-
		अ	झग्स एवं कास्मेटिक एकट 1945
		ब	म.प्र. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
		स	दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958
		द	स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम
		य	नाप तौल अधिनियम
		र	फेकट्री अधिनियम
		ल	सार्वजनिक द्युत अधिनियम
10.	सुश्री गुंजन गौड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)	अधिकार क्षेत्र:- आरक्षी केन्द्र भालूमाडा के समस्त स्थानीय क्षेत्र।	
		1	आरक्षी केन्द्र भालूमाडा तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर, जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के

		अधीन गठित विशेष न्यायालयों, ग्राम न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है) एवं थाने से संबंधित स्थाई गिरफ्तारी वारंट वाले प्रकरण अपने—अपने थाने से संबंधित अन्य समस्त अनुसंगिक कार्यवाही संपादित करेंगे।
2		उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्र के अंतर्गत धारा 176 द.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जाँच करना।
3		आरक्षी केन्द्र भालूमाडा क्षेत्र से उत्पन्न धारा 138 पराकाम्य लिखित अधिनियम के समस्त परिवाद पत्र।
4		आरक्षी केन्द्र भालूमाडा क्षेत्र अंतर्गत उत्पन्न समस्त परिवाद पत्र एवं 156(3) द.प्र.सं. के आवेदन।
5		आरक्षी केन्द्र <b>भालूमाडा</b> से उद्भुत धारा-52(क)(2) एनडीपीएस एकट के तहत प्रस्तुत आवेदन के संबंध में कार्यवाही संपादित करेंगे।
6		माननीय सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर एवं सी.जे.एम. अनूपपुर को पूर्व सूचना देते हुए अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना।
7		उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्र से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम(विशेष उपलंब्ध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।
8		उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्र से उत्पन्न एन.डी.पी.एस. एकट के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामलों का निराकरण करना।
9		उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में जिसमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जब्त हुई हो, का विचारण करना।
10		तहसील कोतमा के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत द.प्र.सं. के अध्याय 9 के अंतर्गत भरण—पोषण से संबंधित प्रकरण (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता को छोड़कर) का निराकरण करना।
11		मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर द्वारा समय—समय पर अंतरित दापिङ्क प्रकरणों निराकरण करना।
12		आरक्षी केन्द्र भालूमाडा क्षेत्रांतर्गत पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार करना और निराकरण करना।
13		उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :—

	अ	झग्स एवं कारमेटिक एक्ट 1945
	ब	म.प्र. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
	स	दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958
	द	स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम
	य	नाप तौल अधिनियम
	र	फेकट्री अधिनियम
	ल	सार्वजनिक द्युत अधिनियम

### नोट :-

- इस कार्य विभाजन आदेश से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना के द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
- आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य पुलिस रिमाण्ड अथवा न्यायिक रिमाण्ड कार्य धारा 436 एवं 437 द.प्र.सं. के तहत जमानत आवेदन एवं धारा 451, 457 द.प्र.सं. के अंतर्गत सुपुर्दगी आवेदन, हाजरी माफी आवेदन का निराकरण, प्रोसेस पर हस्ताक्षर करना एवं आवश्यक कार्य के अंतर्गत **संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया** द्वारा निपटाये जाने वाले आपराधिक प्रकरण समिलित होंगे, जिनमें अभियुक्त दोषसिद्ध का अभिवाक् करता है तो जो मजिस्ट्रेट समरी पावर से सशक्त है वह ऐसे समरी प्रकरणों का निराकरण कर सकेंगे तथा ऐसे प्रकरण उन्हीं के न्यायालय में दर्ज होंगे।
- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा यदि धारा 167(2) द.प्र.सं. के तहत पुलिस रिमाण्ड स्वीकार करते हैं, तो आदेश की प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर की ओर आवश्यक रूप से भेजी जावे।
- पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय या आदेश के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय या माननीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय से ऐसे आपराधिक रिकार्ड या आदेश प्राप्त होने पर, जो रिक्त न्यायालय से संबंधित है, उनमें माननीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय व आदेश का परिपालन या निष्पादन योग्य कार्यवाही उन मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी जिन मजिस्ट्रेट की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत वह आरक्षी केन्द्र आता है जिससे वह मामला उद्भुत हुआ या जिससे संबंधित वह अभिलेख/प्रकरण है तथा यदि वह पीठासीन अधिकार अर्थात् मजिस्ट्रेट वर्तमान में पदस्थ है तब निष्पादन योग्य कार्यवाही उन्हीं पदस्थ मजिस्ट्रेट के द्वारा की जावेगी।
- रिक्त न्यायालय की अपील, पुनरीक्षण, रिवीजन आदेश के परिपालन में निष्पादन योग्य कार्यवाही जिसमें दस्तावेज से थाना क्षेत्र स्पष्ट नहीं हो रहा हो, के संबंध में मुख्यालय अनूपपुर में श्री रामअवतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर, तहसील मुख्यालय कोतमा में सुश्री वर्षा भलावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोतमा, एवं तहसील मुख्यालय राजेन्द्रग्राम में श्री राहुल क्षत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेन्द्रग्राम के द्वारा कार्यवाही संपादित की जावेगी।
- आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, डाइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेश व अन्य दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रतियां सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जाकर उक्त मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर उसके साथ संलग्न की जावे।

- 7. म.प्र. ग्राम न्यायालय अधिनियम 1966** की धारा-16(1) व (2) के प्रावधान अनुसार ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण संबंधी न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में समिलित नहीं माने जावेगे। ग्राम न्यायालय से संबंधित आपराधिक प्रकरण न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय अनूपपुर/कोतमा के द्वारा ही लिया जावेगा।
- 8.** लंबित रिमाण्ड पेपर्स से संबंधित अभियोग पत्र उन्हीं न्यायालय में पेश किये जायेंगे जिनके पास उक्त कार्य विभाजन पत्रक से संबंधित आरक्षी केन्द्र का क्षेत्राधिकार दिया गया है, जब तक अलग से आदेश न हो तथा ऐसे रिमाण्ड पेपर्स संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में स्वतः अंतरित माने जावेगे।
- 9.** ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर जिला अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
- 10.** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत **अवकाश दिवस** में प्रस्तुत होने वाले रिमाण्ड, बालक का सुपुर्दनामा आदि आवश्यक कार्य प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निष्पादित होगा। प्रधान न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सदस्य किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा संपादित किया जायेगा। प्रधान न्यायाधीश एवं सदस्य की अनुपस्थिति में रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्य संपादित करेंगे।
- 11.** रिमाण्ड डयूटी, व्ही.सी., धारा 164 द.प्र.सं. के कथन एवं धारा 176(1-क) द.प्र.सं. के तहत अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट यदि किसी कारणवश अवकाश में रहते हैं या अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की दशा में उनके स्थान पर आये नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा न्यायालय रिक्त होने की दशा में प्रभारधारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा विधि अनुसार यथाशीघ्र कार्यवाही संपादित करेंगे।
- 12.** **अवकाश दिवस में विशेष अधिनियम** के तहत गिरफतार आरोपी की **प्रथम रिमाण्ड**, रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमाण्ड कार्यवाही निष्पादित की जायेगी। तहसील मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों के तहत **प्रथम रिमाण्ड** तहसील मुख्यालय पर **रिमाण्ड मजिस्ट्रेट** के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा विशेष न्यायालय द्वारा जारी गिरफतारी वारंट की तामीली में गिरफतारशुदा आरोपी के संबंध में कार्यवाही संपादित करेंगे।
- 13.** किसी भी आरक्षी केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले पूरक चालान उसी न्यायालय में पेश किये जायेंगे जिस न्यायालय में मूल अभियोग पत्र पेश किया गया या विचाराधीन है, चाहे पूरक चालान पेश करते समय उस न्यायालय का उस थाने पर क्षेत्राधिकार न हो।
- 14.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर समस्त राजस्व जिला अनूपपुर में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अनूपपुर को सूचित करने के ऊपरान्त चलित न्यायालय लगा सकेंगे। सिविल जिला अनूपपुर में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय अनूपपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर को पूर्व सूचना देते हुए ही अपने-अपने क्षेत्रों में चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
- 15.** दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टेब्लीसमेंट एक्ट के अन्तर्गत दाण्डिक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की अधिसूचना के अनुसार सी.बी.आई. द्वारा प्रस्तुत किये जाने की दशा में विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा ही सुने जावेंगे।
- 16.** इस कार्य विभाजन पत्रक के साथ परिशिष्ट-अ एवं ब संलग्न हैं, जो इस कार्य विभाजन पत्रक का अंग माना जायेगा।
- 17.** किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने या अन्य किसी कारण से कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की दशा में उनके क्षेत्राधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले

अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक प्रकरण परिशिष्ट—ब में उनके नाम के अगले कम में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पंजीबद्ध कर इन अत्यावश्यक प्रकरणों का विधि अनुरूप निराकरण कर सकेंगे।

18. 05 एवं 10 वर्ष से लबित प्रकरणों में अथवा ऐसे प्रकरणों में जिनमें दूरस्थ स्थान से साक्षी उपस्थित होते हैं और यदि संबंधित न्यायालय अवकाश में है, तो कार्य देख रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट उपस्थित साक्षी का कथन अभिलेख बुलाकर लेखबद्ध कर सकेंगे, जो उस प्रकरण में संबंधित न्यायालय द्वारा लिया गया साक्ष्य ही माना जावेगा।

॥ अनुमोदित ॥

10/02/23

(महेन्द्र कुमार उड्के)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अनूपपुर (म.प्र.)  
अनूपपुर, दिनांक .....

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
पृष्ठां. क. अनूपपुर (म.प्र.) / स्टेनो / 2023

प्रतिलिपि :-

01. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अनूपपुर की ओर अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित।
02. मान. प्रथम/ द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर/ कोतमा/ राजेन्द्रग्राम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोतमा।
04. श्री रामअवतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर, जिला—अनूपपुर।
05. सुश्री शिवानी असाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर, जिला अनूपपुर।
06. सुश्री अंजली शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर।
07. श्री राहुल क्षत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजेन्द्रग्राम।
08. सुश्री वर्षा भलावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोतमा।
09. सुश्री गुंजन गौड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा।
10. जिला दण्डाधिकारी, अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)।
11. पुलिस अधीक्षक, अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र.।
12. वनमण्डलाधिकारी, अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र.।
13. खाद्य निरीक्षक, अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र.।
14. सांखिकी लिपिक, जिला न्यायालय, अनूपपुर जिला अनूपपुर।
15. लोक अभियोजक/ जिला अभियोजन अधिकारी, अनूपपुर जिला अनूपपुर।
16. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ अनूपपुर/ कोतमा/ राजेन्द्रग्राम।
17. रीडर, न्यायालय—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला अनूपपुर (म.प्र.)।
- ..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।  
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

14

10/02/23  
(महेन्द्र कुमार उड्के)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अनूपपुर (म.प्र.)


**परिशिष्ट - "अ"**

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अन्तर्गत साक्षियों या आरोपीगण के कथन एवं संस्वीकृतियों निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उल्लिखित आरक्षी केन्द्र के अनुसार विधिनुसूल आवश्यक होने पर लेखबद्ध की जावेगी। विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	आरक्षी केन्द्र का नाम	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम जो कथन लेखबद्ध करेंगे।	अनुपस्थिति की दशा में
1.	थाना अनूपपुर, राजेन्द्रग्राम एवं थाना अजाक	श्री रामअवतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर (म.प्र.)	सुश्री अंजली शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
2.	थाना जैतहरी, जीआरपी चौकी अनूपपुर एवं थाना करनपठार	सुश्री अंजली शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)	सुश्री शिवानी असाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
3.	महिला थाना अनूपपुर, चचाई एवं थाना अमरकंटक	सुश्री शिवानी असाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)	श्री रामअवतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर (म.प्र.)
4.	कोतमा एवं बिजुरी	सुश्री वर्षा भलावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)	सुश्री गुंजन गौड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
5.	भालूमाडा	श्री रवीन्द्र कुमार शिल्पी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)	सुश्री वर्षा भलावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
6.	रामनगर एवं महिला थाना कोतमा, थाना बिजुरी क्षेत्र के महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों के कथन	सुश्री गुंजन गौड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)	श्री रवीन्द्र कुमार शिल्पी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

**नोट:- 01.** तहसील मुख्यालय राजेन्द्रग्राम के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों से संबंधित सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध से संबंधित मामलों के 164 द.प्र.सं. के कथन न्यायालय श्री राहुल क्षत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेन्द्रग्राम के न्यायालय द्वारा ही संपादन करेंगे।

**02.** विशेष परिस्थिति में मुख्यालय अनूपपुर में अपने थाना क्षेत्र को छोड़कर अन्य थाना क्षेत्र के 164 द.प्र.सं. के कथन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर के द्वारा लेख किया जायेगा।

  
**महेन्द्र कुमार उझके**  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

### :: परिशिष्ट – “ब” ::

सिविल जिला अनूपपुर के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश या कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने की दशा में जिनका नाम कॉलम नंबर 1 में वर्णित किया जा रहा है, कॉलम नंबर 2 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनकी अनुपस्थिति की दशा में कॉलम नंबर 3, उनकी अनुपस्थिति की दशा में कॉलम नंबर 4 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट कॉलम नंबर 1 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य का संपादन करेंगे :—

#### 1. मुख्यालय अनूपपुर—

क्र.	कॉलम नंबर-1	कॉलम नंबर-2	कॉलम नंबर-3	कॉलम-4
1	श्री महेन्द्र कुमार उइके, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर म. प्र.	श्री राम अवतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर	सुश्री अंजली शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर	सुश्री शिवानी असाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर
2	श्री राम अवतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर	सुश्री अंजली शाह, असाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर	सुश्री शिवानी असाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर	श्री महेन्द्र कुमार उइके, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर म.प्र.
3	सुश्री शिवानी असाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर	सुश्री अंजली शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर	श्री राम अवतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर	श्री महेन्द्र कुमार उइके, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर म.प्र.
4	सुश्री अंजली शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर	सुश्री शिवानी असाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर	श्री राम अवतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर	श्री महेन्द्र कुमार उइके, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर म.प्र.

#### 2. न्यायालय कोतमा

क्र	कॉलम नंबर-1	कॉलम नंबर-2	कॉलम नंबर-3
1	श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा	सुश्री गुंजन गौड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा	सुश्री वर्षा भलावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोतमा
2	सुश्री वर्षा भलावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा	सुश्री गुंजन गौड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोतमा	श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा

3	सुश्री गुंजन गौड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोतमा	सुश्री वर्षा भलावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा	श्री रविंद्र कुमार शिल्पी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा
---	--	--	---

3. न्यायालय राजेन्द्रग्राम

क	कॉलम नंबर-1	कॉलम नंबर-2	कॉलम नंबर-3	कॉलम नंबर-4
1	श्री राहुल क्षत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजेन्द्रग्राम,	श्री रामअवतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर	सुश्री अंजली शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर	सुश्री शिवानी असाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर

महेन्द्र कुमार उड्के  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

10/02/23